उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–30/2022–23

दिगम्बर महतो

बनाम्

एकलैया कु0 महतो

–: आदेश :–

दिनांक 28/2/23

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता दिगम्बर महतो, पे0–देवेन्द्र महतो, सा0–घोरीचक, थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–50/18–19 (एकलैया कुमार महतो बनाम् दिगम्बर महतो) के आदेश दिनांक–08.10.2022 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–50/2018–19 के आदेश दिनांक–08.10.2022 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा–घोरीचक नं0–331, जमाबंदी सं0–01, दाग नं0–40 रकवा 00–13–17 धुर एवं दाग नं0–41 रकवा 00–02–08 धुर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी के द्वारा निम्न न्यायालय में मौजा–घोरीचक नं0–331, जमाबंदी सं0–01 दाग नं0–40 रकवा 00–13–17 धुर एवं दाग नं0–41 रकवा 00–02–08 धुर कुल रकवा 00–16–05 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए आवेदन दिया। अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा दाखिल किया गया कि अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त जमीन बलपूर्वक कब्जा नहीं किया गया है। बल्कि उक्त जमीन उत्तरवादी के दादा दशरथ महतो के द्वारा कुर्फानामा के माध्यम से दिनांक–10.03.1932 में अपीलकर्त्ता के पिता को दिया है। बाद में उत्तरवादी के पिता के द्वारा अपीलकर्त्ता एवं उनके भाई के पक्ष में शपथ पत्र सं0–1800 दिनांक–17.06.1993 भी दिया गया है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता के पिता के समय से ही आवासीय मकान बना हुआ है और अपीलकर्त्ता उस पर सपरिवार निवास कर रहे हैं। उसमें एक कुआँ, स्नानागार घर, शौचालय कक्ष एवं सागवान के

बड़े–बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता गरीब व्यक्ति है और उसके पास अपने परिवार के साथ रहने के लिए एक मात्र मकान है और अंचल अधिकारी, मेहरमा के जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेख है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का मकान उनके पिता के समय से ही बना हुआ है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने उक्त जमीन पर मकान होने पर भी संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत आवासीय मकान की जमीन से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। साथ ही निम्न न्यायालय में उत्तरवादी सं0–1 ने कागजातों के द्वारा यह साबित नहीं कर सका है कि वे उक्त जमीन के वास्तविक उत्तराधिकारी है। क्योंकि उनके भाई एवं उक्त जमीन के अन्य हिस्सेदारों के द्वारा उत्तरवादी सं0–1 का समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय ने बिना ठोस कारण दर्शाये मनमाना आदेश पारित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–घोरीचक नं0–331, जमाबंदी सं0–01 कुल रकवा 07–16–16 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कंचन महतो वल्द अर्जुन महतो के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–40 रकवा 00–13–17 धुर एवं दाग नं0–41 रकवा 00–02–08 धुर जमीन अपीलकर्त्ता ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन कर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है। चूँकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20(1) बहुत स्पष्ट है एवं उक्त प्रावधान के तहत कोई भी रैयत अपने जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। इस मामले में अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादी सं0–1 के पैतृक जमीन को अवैध ढंग से दखल कर लिया है। इसलिए निम्न न्यायालय ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय ने नियम संगत आदेश पारित किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–घोरीचक नं0–331, जमाबंदी सं0–1, कुल रकवा 07–16–16 धुर जमीन जमाबंदी रैयत कचन महतो वल्द अरजुन महतो के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–40 रकवा 00–13–17 धुर एवं दाग नं0–41 रकवा 00–02–08 धुर जमीन वर्ष 1932 ई0 में कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रतिकुल प्रभाव से दखल होने का कोई भी साक्ष्यजनित कागजात न तो निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपील वाद में दाखिल किया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त जमीन संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत अवैध ढंग से कब्जा किया है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–50/2018–19 में दिनांक–08.10.2022 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा

उपायुक्त
गोड्डा

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.04.12 10:56:05 +05:30
Location: 172.17.16.1